न्यायालयः–उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलूम्बर, जिला–सलूम्बर

बजरिये श्री जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 135 / 2022 प्रा.प.

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2022 / 198

उनवान

1. श्री नाया पिता श्री राजिया मीणा उम्र बालिग जाति मीणा निवासी राजपुरा, हाल तहसील झल्लारा हाल जिला सलूम्बर (राज.)।

–प्रार्थी

बनाम

1. श्री कालु पिता श्री राजींग मीणा उम्र बालिग
2. श्री उदीया पिता श्री कालु मीणा उम्र बालिग

निवासीयान पाटीफला, राजपुरा, हाल तहसील झल्लारा हाल जिला सलूम्बर (राज.)।

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1, 2 व सपठित धारा 151 जा.दि.

–::निर्णय::–

दिनांकः– 18/02/26

उपस्थितिः श्री गेबीलाल मेहता अधिवक्ता–प्रार्थी
श्री राजकुमार जैन अधिवक्ता– विपक्षीगण

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1, 2 सपठित धारा 151 जा.दि. का पेश किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र संक्षिप्त मे निम्न प्रकार है कि प्रार्थी वादग्रस्त कृषि भूमि खाता संख्या 58–58 आराजी नम्बर 230 रकबा 0.4600 हेक्टेयर, मौजा राजपुरा, पटवारी हल्का मोरीला, तहसील सलूम्बर हाल तहसील झल्लारा का खातेदार एवं काबिज काश्तकार है। विपक्षीगण का उक्त भूमि में कोई अधिकार नहीं है, फिर भी वे जबरन दखलअंदाजी कर बाड़ काटकर पशु प्रवेश करवा रहे हैं एवं कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। यदि विपक्षीगण को नहीं रोका गया तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। सुविधा का संतुलन एवं प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है। अतः प्रार्थना हैं कि प्रार्थी का अस्थाई निषेधज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण के विरूद्ध इस आशय का अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित फरमाया जावे कि दौराने वाद प्रार्थी की प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 02 में वर्णित मौजा राजपुरा पटवार हल्का मोरीला आराजी नम्बर 230 रकबा 0.4600 हेक्टेयर कृषि भूमि मे विपक्षीगण स्वयं, उनके नौकर, परिजन किसी भी तरह की कोई दखलअंदाजी, कारतामिल न तो करे व न ही किसी से करावे ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षीगण की आरे से अधिवक्ता श्री राजकुमार जैन ने वकालतनामा पेश किया । आदेशिका दिनांक 23–01–2023 उभयपक्ष को सुना जाकर प्रकरण मे अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई एवं विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया। जवाब विपक्षीगण हेतु कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब पेश नही करने से आदेशिका दिनांक 07–01–2025 को विपक्षीगण के जवाब का अवसर बन्द किया गया।। तदपश्चात पत्रावली मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

बहस मनन की गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न जमाबंदी नकल एवं अन्य दस्तावेजों से प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। विपक्षीगण को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाने के उपरांत भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, अतः उनका जवाब का अवसर बंद किया गया। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष मे उचित प्रतीत होते है। यदि विपक्षीगण को नहीं रोका गया तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होने की संभावना से इन्कार नही किया जा सकता है। उपरोक्त परिस्थितियों में प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–::आदेश::–

अतः प्रार्थी का अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आदेशिका दिनांक 23–01–2023 को जारि अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूलवाद के निस्तारण तक कन्फर्म की जाती है। तथा विपक्षीगण को आदेशित किया जाता है कि वे स्वयं अथवा किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से वादग्रस्त मौजा राजपुरा पटवार हल्का मोरीला हाल तहसील झल्लारा की आराजी नम्बर 230 रकबा 0.4600 हेक्टेयर कृषि भूमि में किसी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं करेंगे तथा भूमि के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे।

यह आदेश वाद के अंतिम निर्णय तक प्रभावी रहेगा।

निर्णय दिनांक 18/02/2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर
सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर
जिला सलूम्बर